भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2674

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक

2674 श्री अनिल कुमार यादव मंदादीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना राज्य में मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास तेलंगाना राज्य में मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में एसएसबी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत तेलंगाना राज्य में, केंद्र-राज्य लागत-साझाकरण आधार पर सुपर-स्पेशलिटी ब्लॉकों के निर्माण और चिकित्सा उपकरणों की खरीद कर तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी)/संस्थानों का उन्नयन किया गया है। ये सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थान निम्नलिखित हैं:

(i) निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद;
(ii) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आदिलाबाद; तथा
(iii) काकतीय मेडिकल कॉलेज, वारंगल

(ग) से (ङ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत, तेलंगाना राज्य में पहले से मौजूद अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
